क्रमांक-18

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2011 (फाल्गुन 26, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.35 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 9 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 97 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 114 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे. कुछ प्रश्नकर्त्ता सदस्यों की प्रश्नकाल में अनुपस्थिति पर पक्ष-विपक्ष के सदस्यगण द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई. अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में सदन की समिति गठित कर विचार करने हेतु सहमति प्रदान की गई.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर के सिदगुवां में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम में अधिकारी का रिक्त पद न भरे जाने,
(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर शहर में प्रतिबंधित दवाइयां बेची जाने,
(3) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य की लांजी-आमगांव मार्ग हेतु यात्रियों के लिये बस संचालित किये जाने,
(4) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम के ग्राम बेगमपुरा में शाला खोली जाने,
(5) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की परसवाड़ा में तहसीलदार एवं पटवारी की कमी होने,
(6) श्री कमलेश जाटव, सदस्य की मुरैना के अम्बाह में प्रदूषित जल प्रदाय करने,
(7) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष की प्रदेश में 12 वीं की परीक्षा के गणित के प्रश्नपत्र में त्रुटि होने,
(8) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र को मैहर स्थित संभाग कार्यालय से जोड़ने,
(9) श्री आरिफ अकील, सदस्य की पुराने भोपाल में अतिक्रमण होने तथा
(10) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य की बड़वानी जिले के सेंधवा में अस्पताल न खोले जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2009-10 पटल पर रखे।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं किन्तु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई। तद्नुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष ने चम्बल संभाग में अघोषित विद्युत कटौती होने की ओर राज्यमंत्री, ऊर्जा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने वक्तव्य दिया।

(2) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के गुरैया-रोहना मार्ग के निर्माण में राजस्व भूमि से पेड़ों की कटाई होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति एवं श्रीमती साधना स्थापक, सदस्यगण ने नरसिंहपुर जिले में गन्ने से निर्मित गुड़ पर टैक्स लगाये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एवं श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(4) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य ने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. के परीक्षा परिणाम घोषित न किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री खटीक रमेश प्रसाद, सदस्य ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति द्वारा सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-13, 14)	सर्वश्री गिरीश गौतम, श्रीमती नीता पटेरिया	1 घन्टा
2.	(क्रमांक-27)	श्री बृजेन्द्र सिंह	45 मिनिट
3.	(क्रमांक-42)	श्री प्रताप ग्रेवाल	45 मिनिट

श्री खटीक रमेश प्रसाद, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. याचिका समिति के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री देवेन्द्र वर्मा, सभापति ने याचिका समिति का चतुर्थ, पंचम्, षष्टम्, सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम गोमकला में स्टाप डेम कम रपटा निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम रनगुवा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने तथा

(ग) ग्राम प्रतापपुरा से हडुआ के बीच नाले का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

(2) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) बगहिया बांध निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम शाहपुर कदौहा सेमरी, बरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन किये जाने तथा

(ग) नगर पंचायत सेमरिया में जल आवर्धन योजना प्रारंभ किये जाने,

(3) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की रीवा जिले के -

(क) जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के रामनई, बैसा, तमरा के शासकीय हाई स्कूलों का उन्नयन किये जाने तथा

(ख) तमरादेश, खजुहा, बरसेता के हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने,

(4) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) ग्राम बोलेगांव में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम लांजी में सोन नदी परियोजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा

(ग) तहसील लांजी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने,

(5) श्रीमती रेखा, सदस्य की छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम बछरावनी में नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण किये जाने तथा

(ख) ग्राम घुआरा में शव विच्छेदन गृह निर्माण कराये जाने,

(6) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल शहर में सेन्ट्रल लायब्रेरी से मंगलवारा, हनुमानगंज गल्ला मंडी तक सड़क निर्माण किये जाने तथा

(7) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की रायसेन जिले के ग्राम डूमर के मिडिल स्कूल का उन्नयन किये जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

9. वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)

(14) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए एक हजार नौ सौ पचपन करोड़, सैंतीस लाख, चवालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए तीन सौ उनतालीस करोड़, चार लाख, पचहत्तर हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए चार सौ बासठ करोड़, तिरेसठ लाख, नवासी हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 24	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 24, 28, 32, 34
मांग संख्या - 42	1, 2, 7, 8
मांग संख्या - 67	1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री कमल पटेल

सभापति महोदय (डॉ. गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए।

(3) श्री आरिफ अकील
(4) श्री मनीराम धाकड़
(5) श्रीमती मीरा दीपक यादव
(6) श्री अजय यादव
(7) श्री ताराचन्द बावरिया
(8) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(9) श्री मानवेन्द्र सिंह
(10) श्री रमेश दिलीप भटेरे

(11) श्री बृजेन्द्र सिंह
(12) श्री राजकुमार उरमलिया
(13) श्री पारस सकलेचा
(14) श्री अभय कुमार मिश्रा
(15) श्री बालाराम बच्चन

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(16) श्री सुदर्शन गुप्ता
(17) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(18) श्री श्रीकांत दुबे
(19) श्री बृजराज सिंह
(20) श्री बृजमोहन धूत

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(15) श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार, प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 18 श्रम के लिए तिरेसठ करोड़, बयासी लाख, पांच हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 18	3, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 17

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री ब्रजराज सिंह
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री रामगरीब कोल
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री श्रीकांत दुबे
(6) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(7) श्री बृजमोहन धूत

श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(16) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 13 किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए आठ सौ पैंसठ करोड़, बारह लाख, सत्रह हजार रूपये तथा

अनुदान संख्या - 54 कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए चौवन करोड़, नब्बे लाख रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 13	3, 4, 8, 12, 17, 19, 20, 21, 25, 26
मांग संख्या - 54	1, 3, 10, 11

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए।

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(4) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा
(5) श्री मदन कुशवाह
(6) श्री के.पी. सिंह
(7) श्री मनीराम धाकड़
(8) श्री खटीक रमेश प्रसाद
(9) श्री राधेलाल बघेल
(10) श्री बृजमोहन धूत
(11) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(12) श्री रामलखन सिंह

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(17) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 17 सहकारिता के लिए दो सौ उनहत्तर करोड़, साठ लाख, पचासी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए सात सौ बासठ करोड़, इकहत्तर लाख, चौरासी हजार रूपये
तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 17	2, 4, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19
मांग संख्या - 20	2, 4, 5, 8, 10, 21, 28, 33, 34

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) डॉ. गोविन्द सिंह

(4) श्री मनीराम धाकड़
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(6) श्री ब्रजराज सिंह
(7) श्री रामखेलावन पटेल
(8) श्री रामलखन सिंह
(9) श्रीमती साधना स्थापक
(10) श्री शांतिलाल धबाई
(11) श्री नारायण प्रजापति
(12) श्री रामलाल मालवीय
(13) श्री आरिफ अकील

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(18) श्री तुकोजी राव पवार, पर्यटन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 37 पर्यटन के लिए चौरानवे करोड़, चौवन लाख, बत्तीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 43 खेल और युवक कल्याण के लिए बावन करोड़, ग्यारह लाख, सात हजार रूपये
तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 37	1, 2, 3, 9, 10, 11, 12
मांग संख्या - 43	1, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23

सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए।

(सभापति महोदय ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद 7 के उपपद (7) तक कार्य पूर्ण होने तक समय में वृद्धि की।)

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह
(2) श्री दीपक कैलाश जोशी
(3) श्री आरिफ अकील
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(5) श्री सुखदेव पांसे
(6) श्री राधेलाल बघेल
(7) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(8) श्री श्रीकांत दुबे
(9) श्री मदन कुशवाह

श्री तुकोजी राव पवार, पर्यटन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(19) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए आठ सौ पचहत्तर करोड़, चौवन लाख, बासठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए अड़तालीस करोड़, बहत्तर लाख, चौदह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 35	पुनर्वास के लिए चौंसठ लाख, ग्यारह हजार रूपये
अनुदान संख्या - 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए आठ सौ इक्कीस करोड़, पचासी लाख, छियासी हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 8	1, 3, 5, 10, 14, 18
मांग संख्या - 9	1, 2, 5, 6, 7, 12
मांग संख्या - 35	2, 3
मांग संख्या - 58	2, 3, 10

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह
(2) श्री बृजमोहन धूत
(3) श्री मदन कुशवाह
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री ब्रजराज सिंह
(6) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(7) श्री आरिफ अकील
(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(9) श्रीमती गीता रामजीलाल उइके

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 10.06 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011 (फाल्गुन 27, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 17 मार्च, 2011